भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं .1824

जिसका उत्तर 01.08.2024 को दिया जाना है

पब्लिक वाहन स्क्रैप नीति

1824. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानीः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उन विभागों स्थानीय निकायों के पुराने वाहनों को जबरन कबाड़ में डाले जाने के कारण उनके सामने पेश आ रही चुनौतियों की जानकारी है जो अभी भी अच्छी प्रचालन स्थिति में हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस नीति से प्रभावित होने वाले वाहनों की संख्या और केरल राज्य में उन्हें बदलने की संभावित लागत का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सार्वजनिक वाहनों के लिए कोई छूट या विशेष प्रावधान किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्क्रैप किए गए वाहनों के कारण परिचालन को बाधित किए बिना उनके स्थान पर वित्तीय सहायता अथवा प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ग) (i) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, अधिसूचना सा.का.नि 29 (अ) दिनांक 16.01.2023 के अनुसार, केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों सरकारों और उनके विभागों, स्थानीय सरकार (नगर निगम या नगर पालिका या पंचायत), राज्य परिवहन उपक्रमों, सार्वजनिक उपक्रमों और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ अन्य स्वायत्त निकायों के स्वामित्व वाले वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र को पंद्रह साल की अवधि बीत जाने के बाद नवीनीकृत नहीं किया जाएगा।

(ii) तथापि, यह प्रावधान किया गया है कि यह नियम देश की रक्षा, कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए परिचालन उद्देश्यों हेतु उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रयोजन वाहनों (बख्तरबंद और अन्य विशिष्ट वाहनों) पर लागू नहीं होगा।

(iii) केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से अधिक पुराने राज्य सरकार के वाहनों को हटाने, पुराने वाहनों पर देनदारियों को माफ करने, पुराने वाहनों को हटाने के लिए व्यक्तियों को कर रियायतें प्रदान करने और स्वचालित वाहन परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए 3,000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि के साथ 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24' योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को प्रोत्साहन प्रदान किया है।

(ख) और (घ) (i) केरल सरकार ने दिनांक 27.06.2023 के आदेश के तहत अधिसूचित किया था कि जांच के बाद, राज्य ने 15 वर्ष से अधिक पुराने 2,253 वाहनों की पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों में स्क्रैपिंग के लिए पहचान की है।

(ii) पूंजी निवेश 2023-24 के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत, लक्ष्य प्राप्ति के बाद व्यय विभाग द्वारा केरल राज्य को 80.30 करोड़ रुपये की निधि जारी की गई।

*****